भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2010
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

वकीलों के सुरक्षा मुद्दे संबंधी नीतियां

2010. श्री हुसैन दलवई :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार वकीलों की हत्याओं की बढ़ती हुई घटनाओं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए वकीलों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिला वकीलों की सुरक्षा के लिए कोई दिशा-निर्देश लाने का विचार रखती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार अस्पताल खर्चों को समाविष्ट करने के लिए कोई मुआवज़ा योजना शुरू करने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) वर्ष 2015 से ऐसे पीड़ितों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इन पीड़ितों की मदद करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था की विषय वस्तु राज्य का विषय है, अतः प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की संरक्षा के लिए लोक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास है। ऐसी घटनाओं के ब्योरे भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए रखे जाते है; इसके अतिरिक्त अधिवक्ता (संरक्षण) विधेयक की समीक्षा के लिए हाल ही में भारत के विधि आयोग को निर्देश दिया गया है।

(ख) : अधिवक्ताओं की आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न जोखिमों और चिकित्सा व्यय को समाविष्ट करने के लिए एक स्वनिर्धारित बीमा स्कीम विरचित करने की मांग भारतीय विधिज्ञ परिषद और बीमा कंपनियों के परामर्श से सरकार के सक्रिय विचार के अधीन है।

****